THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) Yes, Sir.

(a) There is no Scheduled Tribe persons working as Teachers under Education Department of Delhi Administration since 1960.

(c) Does not arise.

Percentage of S. C. and S. T. Employees in Central Schools

815. SHRI AMBESH: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1174 dated the 7th August, 1972 regarding percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employed in Central Schools and state:

(a) whether Government has so far collected the required information;

(b) if so, the gist thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement indicating the requisite information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-4265/73].

Introduction of Revised Pay Scales of Delhi Teachers

816. SHRI R. N. SHARMA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the Union Minister of Education has made a public announcement on the Teacher's Day on the 5th September, 1971 that revised pay scales including Selection Grades for Delhi Teachers would be introduced with effect from the 27th May, 1970; and

(b) if so, the reasons of introducing the Selection Grades with effect from the 5th September, 1971 and not from the 27th May, 1970?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) and (b). The previous Education Minister had announced on 5th September, 1971 that the Revised Pay Scales would be effective from 27th May, 1970 and pay would be fixed in the revised scales at the next higher stage, with the date of increment remaining unchanged. He did not announce that the Selection Grades would also be effective from 27th May, 1970.

The Government decision to give Selection Grades was taken on 5th September 1971 and hence the Selection Grades were made effective from that date.

Denial of Selection Grade to T.G.T. officiating in P. G. T. in Delhi

817. SHRI R. N. SHARMA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government School teachers in Delhi who were officiating in P. G. T. Scale and confirmed in T. G. T. Scale on 5th September, 1971 have represented against their having been confirmed subsequently with retrospective effect and thus having been denied the Selection Grade in T. G. T. Scale; and

(b) the action taken by Government on their representations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under consideration.

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये हरियाणा को केन्द्र द्वारा अनुदान तथा ऋणों का दिया जाना

818. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1971–72 में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये हरियाणा को कितने रुपये के अनुदान तथा ऋण दिये गये ; और

(ख) इस बारे में 1972–73 के वित्तीय वर्ष में कितना अनुदान तथा ऋण दिये जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा-साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकारों को उनके प्लान स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता देने की पद्धति में 1969–70 से संशोधन किया गया है । अब राज्य सरकारों को उनकी वार्षिक योजना के लिये ऋण तथा अनुदान अलग अलग योजनाओं या कार्यक्रम के आधार पर नहीं अपितु एक राशि के रूप में दिये जाते हैं। 1971–72 के दौरान हरियाणा सरकार के लिये 470.34 लाख रुपये का अनुदान और 1097.46 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये 242.65 लाख रुपये का अनुदान और 6.00 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था । वर्ष 1972–73 में राज्य सरकार द्वारा सूचित किये गये वास्तविक खर्च के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्त में स्टेट प्लान स्कीमों और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये सहायता दी जायेगी । योजना सहायता के अतिरिक्त वर्ष 1972–73 के दौरान आपातकालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राज्य के लिये 13.00 करोड़ रुपये की लागत की लघु सिंचाई योजनायें स्वीकृत की गई हैं । अब तक 7.827 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 1972–73 में राज्य सरकार को उनकी कुछ सिंचाई परियोजना को गतिमान करने के लिये ऋण के रूप में 3.5 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पंजाब को केन्द्रीय सरकार के अनुदान तथा ऋण

819. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1971–72 में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पंजाब को कितनी राशि के अनुदान तथा ऋण दिये गये ; और

(ख) इस बारे में 1972–73 के वित्तीय वर्ष में कितना अनुदान तथा ऋण दिया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा-साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकारों को उनकी योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता देने की प्रक्रिया वर्ष 1969–70